भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.3073
06.12.2019 को उत्तर के लिए

वनक्षेत्र

3073. श्री जी॰एम॰ सिद्देश्वरः

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में विगत तीन वर्षों के दौरान निर्धारित लक्ष्यों के विरुद्ध वास्तविक वनक्षेत्र विस्तारण कार्य में कितनी वृद्धि हुई है;
(ख) उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां विगत तीन वर्षों के दौरान वनों की कटाई या वनोन्मूलन हुआ है और इसके क्या कारण हैं;
(ग) देश में आगे और अधिक वनोन्मूलन होने से रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
(घ) क्या सरकार देश में विशेषतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में, वनक्षेत्र बढ़ाने हेतु स्थानीय स्तर के संस्थानों और निजी क्षेत्र को शामिल कर एक नई पहल करने पर विचार कर रही है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) भारतीय वन सर्वेक्षण, द्विवार्षिक आधार पर देश के वन और वृक्षावरण का आकलन करता है और उसके निष्कर्ष भारत-वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) में प्रकाशित किए जाते हैं। आईएसएफआर-2017 के अनुसार, देश में कुल वनावरण और वृक्षावरण 8,02,088 वर्ग किमी (वनावरण 7,08,273 वर्ग किमी, वृक्षावरण 93,815 वर्ग किमी) है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.39% है। आईएसएफआर-2015 में दर्ज की गई वृद्धि की तुलना में कुल वनावरण और वृक्षावरण में 8,021 वर्ग किमी (वनावरण 6,778 वर्ग किमी, वृक्षावरण 1,243 वर्ग किमी) की वृद्धि हुई है।

(ख) और (ग) चूंकि राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा वन क्षेत्रों को प्रबंधित किया जाता है, वन क्षेत्रों की सुरक्षा, जिनमें वननाशन और वनोन्मूलन वाले क्षेत्र भी शामिल है, करने का उत्तरदायित्व प्राथमिक रूप से संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों का है। अत: भारतीय वन अधिनियम,1927 और विभिन्न राज्य अधिनियमों और नियमों के तहत संबंधित राज्यों/संघ शासित प्रदेश सरकारों द्वारा निवारण और नियंत्रण करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। विभिन्न कारणों से वननाशन के संबंध में सूचना का रखरखाव, भारत सरकार के स्तर पर नहीं किया जाता है।

सरकार की नीति वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत अनुमोदित किए गए विभिन्न विकासात्मक प्रस्तावों के तहत वृक्षों को काटने के एवज में अधिक रोपण किए जाने को सुनिश्चित करती है। वृक्षों को तभी काटा जाता है जब वह नितांत रूप से आवश्यक होता है। इस नीति के कारण, भारत के वनावरण में वृद्धि हो रही है। गत तीन वर्षों में 69,44,608 संख्या में वृक्षों को काटा गया था और प्रतिपूर्ति वनीकरण के तहत 6.2 करोड़ वृक्षों का रोपण किया गया था। ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है। ऐसे मामलों में, अनुमोदन के भाग के रूप में गत तीन वर्षों में 62769.58 हेक्टेयर भूमि पर वनीकरण करने के लिए उपयुक्त प्रतिपूर्ति वनीकरण स्कीमें निर्धारित की गई हैं।

(घ) और (ड.) सरकार द्वारा कोई नई पहल प्रस्तावित नहीं गई है। तथापि, मंत्रालय की चालू केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें, जैसे राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी), हरित भारत मिशन (जीआईएम) और

वन्यजीव वासस्थलों का विकास(डीडब्ल्यूएच) का उद्देश्य देश में वन और वृक्षावरण में वृद्धि करना है। मंत्रालय जन भागीदारी के माध्यम से स्कूल में पौधशालाओं और शहरी वानिकी कार्यक्रमों को भी सहायता प्रदान करता है। प्रतिपूर्ति वनीकरण निधि प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण (काम्पा) के तहत निधि, अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिपूर्ति वनीकरण सहित पौध रोपण कार्यकलापों में भी प्रयुक्त होती है।

विगत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, हरित भारत मिशन और वन्यजीव पर्यावासों के विकास के तहत वनों के संरक्षण, विकास और विस्तार के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधि का ब्यौरा क्रमश: **अनुबंध-II, III, और IV** में दिया गया है। प्रतिपूरक वनीकरण कोष (सीएएफ) के तहत,तदर्थ प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (काम्पा) द्वारा गत दो वर्षों और 2019-20 के कतिपय भाग के दौरान जारी की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-V** में दिया गया है। तथापि, प्रतिपूरक वनीकरण (सीएएफ) अधिनियम, 2016 के तहत राष्ट्रीय प्राधिकरण के गठन के पश्चात्, सीएएफ अधिनियम, 2016 के प्रावधान के अनुसार राज्यों के कोषों में 47436.18 करोड़ रू. की धनराशि जमा की गई है। राज्य कोष में जमा की गई निधि का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध- VI** में दिया गया है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसे विभिन्न कार्यक्रमों/वित्तीय स्रोतों और संबंधित राज्य/संघ शासित स्कीमों/योजनाओं के तहत भी वनीकरण कार्यकलाप किए जाते हैं।

कई विभागों के प्रयासों के परिणामस्वरूप, विकास की गति को बनाए रखने के साथ-साथ वननाशन की समस्या का समाधान करके पर्यावरण संरक्षित करने के अच्छे परिणाम प्राप्त हुए, जो इस तथ्य से इंगित हो रहा है कि वनावरण स्थिर हो गया है और गई वर्षों से निरंतर बढ़ रहा है।

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा प्रकाशित नवीनतम ग्लोबल वन संसाधन आकलन के अनुसार विश्व में अधिकतम वनावरण वाले शीर्ष वन देशों में एक भारत है। विशालतम वन लाभ वाले देशों के संबंध में भारत का आठवां रैंक है।

*****

अनुबंध-।

''वनक्षेत्र'' के संबंध में दिनांक 06.12.2019 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3073 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वन (संरक्षण) अधिनियम (एफसीए) प्रस्तावों के संदर्भ में अनुमति से काटे गए वृक्ष (संख्या)

क्रम सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	2016-17	2017-18	2018-19	कुल योग
1	मुख्यालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	909192	1034662	1588717	3532571
2	बैंगलूरू	12173	22429	1240	35842
3	भोपाल	80756	253378	169296	503430
4	भुवनेश्वर	93227	32779	5350	131356
5	चंडीगढ़	41714	156578	202153	400445
6	चैन्नई	50721	10753	0	61474
7	देहरादून	18240	124993	45088	188321
8	लखनऊ	104076	81442	13588	199106

9	नागपुर	359936	343916	485697	1189549
10	रांची	22080	53678	48435	124193
11	शिलॉंग	9301	437556	131464	578321
कुल योग		**1701416**	**2552164**	**2691028**	**6944608**

''वनक्षेत्र'' के संबंध में दिनांक 06.12.2019 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3073 के भाग (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के तहत जारी की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा

(करोड़ रूपये में)

क्र.सं.	राज्य	वित्तीय वर्ष 2017-18	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2019-20
1	आंध्र प्रदेश	3.36	6.38	
2	बिहार	4.23	0.00	
3	छत्तीसगढ़	10.86	7.82	5.71
4	गोवा	0.00	0.00	
5	गुजरात	0.00	0.00	
6	हरियाणा	2.71	0.00	
7	हिमाचल प्रदेश	1.72	2.92	0.52
8	जम्मू और कश्मीर	7.20	0.00	
9	झारखंड	0.00	0.00	
10	कर्नाटक	3.24	10.99	
11	केरल	0.00	0.00	
12	मध्य प्रदेश	8.74	7.78	
13	**महाराष्ट्र**	**6.73**	**15.33**	
14	ओडिशा	3.49	11.36	8.45
15	पंजाब	0.00	0.00	
16	राजस्थान	1.40	1.95	
17	तमिलनाडु	0.00	2.07	
18	तेलंगाना	0.00	0.00	
19	उत्तर प्रदेश	0.67	0.32	
20	उत्तराखंड	3.36	2.58	
21	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	
22	अरुणाचल प्रदेश	0.86	0.00	
23	असम	0.00	0.58	
24	मणिपुर	3.19	4.38	
25	मेघालय	1.65	0.74	
26	मिजोरम	5.80	7.79	
27	नगालैंड	5.85	6.41	2.35
28	सिक्किम	0.00	5.98	
29	त्रिपुरा	4.94	0.00	3.76
	कुल	**80.00**	**95.38**	**20.80**

अनुबंध-III

''वनक्षेत्र'' के संबंध में दिनांक 06.12.2019 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3073 के भाग (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

हरित भारत मिशन के तहत जारी की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा

(करोड़ रू. में)

क्र.सं.	राज्य	वित्तीय वर्ष 2017-18	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2019-20
1	आंध्र प्रदेश	0.446	2.6662	
2	छत्तीसगढ़	10.953	5.3607	5.036
3	कर्नाटक	0.857	1.62339	2.209
4	केरल*	-	-	16.318
5	मणिपुर	6.416	4.88812	4.166
6	मिजोरम	20.00	22.364	
7	ओडिशा	1.406	4.74334	14.189
8	पंजाब *	6.217	-	
9	उत्तराखंड **	-	-	
10	सिक्किम	-	3.3236	3.124
11	**महाराष्ट्र**	**-**	**10.30188**	
12	मध्य प्रदेश	-	24.15919	
कुल		**46.295**	**79.4304**	**45.044**

नोट: * वित्त वर्ष 2016-17 में उपयोग के लिए निधि को पुन: विधिमान्य कर दिया गया था।

** वित्त वर्ष 2016-17 और वित्त वर्ष 2018-19 में उपयोग के लिए निधि को पुन: विधिमान्य कर दिया गया था।

अनुबंध-IV

''वनक्षेत्र'' के संबंध में दिनांक 06.12.2019 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3073 के भाग (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

केन्द्र-प्रायोजित योजना 'वन्यजीव पर्यावासों का विकास' के तहत जारी की गई निधियों का ब्यौरा

(करोड़ रू. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वित्तीय वर्ष 2017-18	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2019-20
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1.4193	1.91	1.3264
2	आंध्र प्रदेश	0	0.75	0
3	अरुणाचल प्रदेश	2.6993	3.4442	4.1414
4	असम	2.7582	2.6532	1.6426
5	बिहार	3.2267	7.49	1.4137
6	चंडीगढ़	0.2606	0	0
7	छत्तीसगढ़	4.3501	3.5061	3.1003
8	गोवा	0.8599	0	0
9	गुजरात	5.5852	22.32	0
10	हरियाणा	1.8144	1.55	0.4386
11	हिमाचल प्रदेश	2.3741	3.7030	3.0576
12	जम्मू और कश्मीर	5.7791	4.9243	0
13	झारखंड	0.9560	0.5051	0.9396
14	कर्नाटक	4.2789	6.53	4.1856
15	केरल	9.0083	12.9340	5.7491
16	मध्य प्रदेश	13.7948	9.1220	6.2926
17	**महाराष्ट्र**	**8.0805**	**10.3120**	**5.5333**
18	मणिपुर	4.2566	4.0560	3.5935
19	मेघालय	1.1406	3.12	0
20	मिजोरम	4.8744	4.30	0
21	नगालैंड	5.6587	8.8220	7.7783
22	ओडिशा	3.4293	4.99	5.5847
23	राजस्थान	6.2242	5.85	6.7956
24	सिक्किम	2.0215	3.94	3.9627
25	तमिलनाडु	3.9472	*3.8410*	*4.0950*
26	तेलंगाना	1.5708	0	0
27	उत्तर प्रदेश	3.8696	1.1981	4.2661
28	उत्तराखंड	29.7936	17.6410	0
29	पश्चिम बंगाल	6.5799	9.6060	8.006
30	पुडुचेरी	0	0	0
31	लक्षद्वीप	0.0671	0.4630	1.3679
32	दिल्ली	0	5.5190	0
33	त्रिपुरा	0	0	0.9031
	कुल	**150.00**	**165.00**	**84.1745**

''वनक्षेत्र'' के संबंध में दिनांक 06.12.2019 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3073 के भाग (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

तदर्थ काम्पा द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण कोष के तहत जारी निधियों का राज्य / संघ राज्य क्षेत्र वार विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष -17-18	वित्तीय वर्ष -18-19	वित्तीय वर्ष -19-20
	जारी निधि (रू.)	जारी निधि (रू.)	जारी निधि (रू.)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1,33,00,000.00	1,56,00,000.00	शून्य
आंध्र प्रदेश	97,00,00,000.00	1,04,47,00,000.00	शून्य
अरुणाचल प्रदेश		3,54,15,00,000.00	शून्य
असम	70,00,00,000.00	45,84,00,000.00	शून्य
बिहार	30,31,00,000.00	46,61,90,000.00	शून्य
चंडीगढ़	1,13,00,000.00	1,27,00,000.00	शून्य
छत्तीसगढ़	शून्य	शून्य	शून्य
दादर नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य
दमन और दीव	शून्य	शून्य	शून्य
दिल्ली	शून्य	शून्य	शून्य
गोवा	शून्य	शून्य	शून्य
गुजरात	27,00,00,000.00	2,12,6600,000.00	शून्य
हरियाणा	80,00,00,000.00	1,44,20,00,000.00	शून्य
हिमाचल प्रदेश	1,20,00,00,000.00	1,32,52,00,000.00	शून्य
जम्मू कश्मीर	69,00,00,000.00	शून्य	1,01,77,00,000.00
झारखंड	2,34,00,00,000.00	2,86,25,00,000.00	शून्य
कर्नाटक	86,00,00,000.00	1,01,40,00,000.00	शून्य
केरल	8,00,00,000.00	14,61,00,000.00	शून्य
लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य
मध्य प्रदेश	2,00,00,00,000.00	2,68,76,00,000.00	शून्य
महाराष्ट्र	**1,99,00,00,000.00**	**2,25,00,00,000.00**	**शून्य**
मणिपुर	29,50,00,000.00	24,85,00,000.00	शून्य
मेघालय	7,00,00,000.00	शून्य	शून्य
मिजोरम	6,85,00,000.00	8,30,00,000.00	शून्य
नगालैंड	शून्य	शून्य	शून्य
ओडिशा	5,09,00,00,000.00	5,54,00,00,000.00	शून्य
Pudducherry	शून्य	शून्य	शून्य
पंजाब	64,00,00,000.00	79,20,00,000.00	शून्य
राजस्थान	1,79,00,00,000.00	1,82,03,00,000.00	शून्य
सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य
तमिलनाडु	12,68,00,000.00	7,00,00,000.00	शून्य
तेलंगाना	1,27,00,00,000.00	2,37,38,00,000.00	शून्य
त्रिपुरा	7,10,00,000	16,70,00,000.00	शून्य
उत्तर प्रदेश	1,44,00,00,000.00	1,50,60,00,000.00	शून्य
उत्तराखंड	96,00,00,000.00	3,03,00,00,000.00	शून्य
पश्चिम बंगाल	शून्य	21,22,00,000.00	शून्य
कुल	**24,049,000,000.00**	**35,235,890,000.00**	**1,017,700,000.00**

अनुबंध-VI

''वनक्षेत्र'' के संबंध में दिनांक 06.12.2019 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3073 के भाग (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

सीएएफ अधिनियम, 2016 के तहत जमा की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा

(करोड़ रू. में)

क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**अंतरित निधियां**
1	ओडिशा	5933.98
2	छत्तीसगढ़	5791.70
3	मध्य प्रदेश	5196.69
4	झारखंड	4158.02
5	महाराष्ट्र	3844.24
6	तेलंगाना	3110.38
7	उत्तराखंड	2675.09
8	उत्तर प्रदेश	1819.63
9	राजस्थान	1748.26
10	आंध्र प्रदेश	1734.81
11	हिमाचल प्रदेश	1660.72
12	अरुणाचल प्रदेश	1588.72
13	गुजरात	1484.60
14	कर्नाटक	1350.37
15	हरियाणा	1282.65
16	पंजाब	1040.84
17	असम	560.81
18	बिहार	522.95
19	सिक्किम	392.36
20	मणिपुर	309.76
21	गोवा	238.16
22	पश्चिम बंगाल	236.48
23	मिजोरम	212.98
24	त्रिपुरा	183.65
25	मेघालय	163.31
26	तमिलनाडु	113.42
27	केरल	81.59
	कुल	**47436.18**